संख्या:-61/2022/001-147आ0-23-5-22-12(भवन)/2021

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2022**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में लेखाशीर्षक 2216-01-700-05-00-29 "आवासीय भवनों का अनुरक्षण" के अन्तर्गत जनपद अयोध्या, सुल्तानपुर, सीतापुर व लखनऊ के 09 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-613बीजीबी/112बीजीबी/आवासीय/चालू कार्य/2022-23, दिनांक 10.09.2022, पत्र सं0-633बीजीबी/112बीजीबी/आवासीय/चालू कार्य/2022-23, दिनांक 10.09.2022, एवं पत्र सं0-571बीजीबी/112बीजीबी/आवासीय/चालू कार्य/2022-23, दिनांक 10.09.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत जनपद अयोध्या, सुल्तानपुर, सीतापुर व लखनऊ के 09 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता रू0 143.09 लाख में से **रू0 80.56 लाख(रू0 अस्सी लाख छप्पन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	118/2021/319आ0/23-5-21-35(भवन)/2017टीसी दिनांक 27.10.2021	अयोध्या स्थित मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र के राजकीय भवन के विशेष मरम्मत का कार्य।	07.65	01.00	06.65	05.00
2	146/2021/407आ0/23-5-21-25(भवन)/2021, दिनांक 28.12.2021	अयोध्या स्थित सुरसरि कालोनी के टाइप-4 आवास सं0-21 से 24 (01 ब्लॉक) तक के विशेष मरम्मत का कार्य।	23.24	00.20	23.04	15.00
3	105/2021/245आ0/23-5-21-12(भवन)/2021, दिनांक 22.09.2021	सुल्तानपुर के पूल्ड हाउसिंग भवनों के अन्तर्गत टाइप-4 के आवास सं0-17, 18, 19 व 20 के विशेष मरम्मत का कार्य।	15.88	07.94	07.94	05.00
4	तदैव	सुल्तानपुर के पूल्ड हाउसिंग भवनों के अन्तर्गत टाइप-बी के आवासों के बाथरूम/ शौचालय के विशेष मरम्मत का कार्य।	07.17	03.59	03.58	03.06
5	तदैव	सुल्तानपुर के पूल्ड हाउसिंग भवनों के अन्तर्गत टाइप-4 के आवासों के बाथरूम/ शौचालय के विशेष मरम्मत का कार्य।	12.15	06.08	06.07	04.00
6	116/2021/309आ0/23-5-21-35(भवन)/2017टीसी, दिनांक 11.10.2021	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सीतापुर/खीरी वृत्त के आवास का विशेष मरम्मत कार्य।	12.98	06.49	06.49	04.00
7	तदैव	सीतापुर में एम0ओ0 टाइप के 04 आवास का विशेष मरम्मत कार्य।	07.62	03.81	03.81	03.50
8	146/2021/407आ0/23-5-21-25(भवन)/2021,	दिलकुशा कालोनी लखनऊ में स्थित पी0डब्लू0डी0 के नवनिर्मित भवन के टाइप-4 एवं टाइप-5 के	17.07	00.15	16.92	08.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	दिनांक 28.12.2021	आवासों में बाहरी सतह की पुताई एवं पेन्टिंग का कार्य।				
9	तदैव	दिलकुशा कालोनी लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग के ई0एच0 ब्लॉक के आवास संख्या ई0एच-1,2,3,4,9,10,11,12,13, 14,15 व 16 में विशेष मरम्मत का कार्य।	68.86	00.27	68.59	32.50
योग :-					**143.09**	**80.56**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 80,56,000(रूपये अस्सी लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-61/2022/001-147आ0(1)-23-5-2022, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- जिलाधिकारी अयोध्या, सुल्तानपुर, सीतापुर व लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या, सुल्तानपुर, सीतापुर व लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, व लखनऊ क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या/अम्बेडकरनगर वृत्त, सुल्तानपुर/अम्बेडकर नगर वृत्त, सीतापुर/खीरी वृत्त व 39वां वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4, लो0नि0वि0, अयोध्या।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर।
15- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सीतापुर।
16- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ।
17- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।